# समाचार

## रोका–छेका अभियान

# निगम द्वारा प्रतिदिन चलाया जा रहा पशु नियंत्रण अभियान

## (09 व 10 सितम्बर को गौमाता चौक इमलीडुग्गू से रिसदी तक चलाया गया अभियान)

कोरबा 11 सितम्बर 2020 –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा विगत ढाई माह से निरंतर रोका–छेका अभियान के तहत सड़कों, मार्गो व चौक–चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों के नियंत्रण का अभियान सतत रूप से चलाया जा रहा है तथा इन मवेशियों को निगम के गोकुलनगर स्थित गोठान एवं कांजीघर में सुरक्षित रूप से पहुंचाया जा रहा है।

नगर पालिक निगम द्वारा शहर की सड़कों पर स्वच्छंद रूप से विचरण कर आवागमन को बाधित करने व दुर्घटना की संभावना बढ़ाने वाले मवेशियों पर नियंत्रण करने का कार्य लगातार संचालित कराया जा रहा है, इन मवेशियों को काऊकेचर के माध्यम से सड़कों से उठाकर गोकुलनगर स्थित गोठान एवं कोरबा व बालको स्थित कांजीघरों में पहुंचाया जा रहा है, जहां पर मवेशियों के चारे, पानी, शेड आदि की व्यवस्था निगम द्वारा की गई है। निगम द्वारा 09 सितम्बर एवं 10 सितम्बर को गौमाता चौक से इमलीडुग्गू, रेलवे स्टेशन रोड, पुराना कोरबा शहर, पावर हाउस रोड, टी.पी.नगर चौक, स्टेडियम रोड, सी.एस.ई.बी.चौक, बुधवारी, घंटाघर, व्ही.आई.पी. रोड, निहारिका रोड, शास्त्री चौक से होते हुए रिसदी तक यह अभियान चलाया गया तथा सड़कों पर स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए मवेशियों को काऊकेचर के माध्यम से पकड़कर सुरक्षित रूप से कांजीघर पहुंचाया गया। निगम अमले द्वारा प्रतिदिन रात्रि 10 बजे के बाद यह कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही विगत 10 सितम्बर से दिन के समय भी पशु नियंत्रण का कार्य कराया जा रहा है। विगत ढाई माह से अधिक समय से यह अभियान निरंतर चल रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा।

**पशुपालकों से अपील** :– महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद ने नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रान्तर्गत समस्त खटाल संचालकों, पशुपालकों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपना पालतू दुधारू पशु या अन्य मवेशियों को मुख्य मार्गों, सहायक सड़कों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों आदि में खुला ना छोड़ें। उन्होने कहा है कि मवेशियों के स्वच्छंद विचरण से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है तथा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। पशुओं के खुले में विचरण करते पाये जाने पर निगम द्वारा उन्हें कांजीघर एवं गोठान में पहुंचाने की कार्यवाही की जा रही है। तत्पश्चात निर्धारित शुल्क/अर्थदण्ड जमा करने के पश्चात् ही मवेशियों को छोड़ा जायेगा। अतः निगम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचने के लिए पशुओं को सड़कों, सार्वजनिक स्थानों पर कदापि ना छोड़ें।